सत्यापन के दौरान सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज –

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक/माता–पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।
2. विधिवत् हस्ताक्षरित अभिवचन, छात्र/अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।)
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. हाई–स्कूल का प्रमाण पत्र।
6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ।
7. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।
8. अधिमान अंकों हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ – एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, खेलकूद इत्यादि जोकि कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वैबसाईट में निर्देशित हैं।)

नोट – अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ अवश्य साथ लायें साथ ही यह भी आग्रह है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल की वेबसाइट **www.kunainital.ac.in** एवं **www.kuntl.net** में दिये गये प्रवेश नियमों को भली–भाँति पढ़ लें।

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी। अन्यथा मैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य हूंगा/हूंगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित
(उसी महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा–

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री / कु0 / श्रीमती ....

जो मेरे संरक्षण में रहेंगे / रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे / रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते / रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता / अभिभावक

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... (पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य .... (विद्यार्थी का नाम व पूर्ण पता) ....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने .... (परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैंगिग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं।**
3. मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रत्यत्न करूँगा कि -
   - क. मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा-3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।
   - ख. मैं अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो किसी रैगिंग की धारा-3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य को ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक - हस्ताक्षर

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर .... नाम ....

पूर्ण पता ....

....मोबाईल नम्बर...........................

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... (विद्यार्थी का नाम व पूर्ण पता) ....
(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) ....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने .... (परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। मैंने विधि/उच्चतम न्यायालय/केन्द्र/राज्य सरकारों के रैगिंग से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैंगिग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं।**
3. मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रत्यत्न करूँगा कि -
   - क. मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा-3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।
   - ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा-3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक - हस्ताक्षर

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर .... नाम ....

पूर्ण पता ....

....मोबाईल नम्बर...........................

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।